

बिन्दु नं. 01 अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :-

उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला विदिशा	मुख्य लिपिक सह लेखापाल
प्रमुख कलाकार शासकीय कलापथक दल	सहा.ग्रेड 02
कलाकार	सहा.ग्रेड 03
	सहा.ग्रेड 03 सह कम्प्यूटर ऑपरेटर (समग्र संविदा)
	वाहन चालक,वाहन स्वच्छक
	भृत्य / चौकीदार

भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभाग से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों को आम आदमी तक पात्रतानुसार जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय इंदिरागांधी विधवा पेंशन, राष्ट्रीय इंदिरागांधी वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय इंदिरागांधी निःशक्त पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, मानसिक एवं बहुविकलांग पेंशन, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, निःशक्तछात्रवृत्तियोजना, आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, निःशक्त कल्याण क्षेत्र में निःशक्तजनो को उनकी आवश्यकतानुसार लाभान्वित किया जाना एवं शासन द्वारा विभाग से संबंधित जनकल्याण कारी योजनाओं का संचालन करना।

बिन्दु नं.2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तिया और कर्तव्य:-

पदनाम	उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला विदिशा
शक्तियाँ	प्रसाकीय:-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण अर्न्तगत संचालित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन करना
	वित्तीय:- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों का आहरण एवं संवितरण के पूर्ण अधिकार
	अन्य:-भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा सौपी गई समस्त शक्तियाँ
कर्तव्य	समाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन करना

बिन्दु नं. 3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं:- सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने बावत्

01. विकासोन्मुख योजनाए जो लोक प्राधिकारण का उदेश्य :- 2.2 लोक प्राधिकारण (सामाजिक न्याय) का मिशन/विजन भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याण कारी एवं सामाजिक न्याय के समग्र विकास के लिये संचालित योजनाए सोपी गई है पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना ओर शासन क उद्देश्य को पूरा करना।

02 लोक प्राधिकारण (सामाजिक न्याय) का संक्षिप्त इतिहास एवं इसके गठन का प्रसंग :- भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व.श्री राजीव गांधी ने सत्ता के विकेन्द्री करण ओर पंचायत राज को मूर्त रूप देने एवं स्वाभ्वलंबी बनाने की अभिव्यक्ति की थी, स्वायत्तशासी संस्थाओं को पहली वार सवेधनीकता की हेसीयत संविधान में संसोधन होकर प्रधान की गइ तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने समूचे भारत में इस दिशा में सक्रिय पहल करने प्रथम तः गौरव प्राप्त किया मध्य प्रदेश राज्स सरकार निरंतर प्रयत्न शील हे कि पंचायती राज्य दायित्व बोध से सम्पन्न होकर ग्राम स्वराज स्थापित करे ग्रामों का विकास हो,ग्राम आर्थिक

दृष्टि से विकसित एवं समप्रद हो राजनेतिक दृष्टि से राष्ट्र की रीड ग्राम इकाई लोक तांत्रिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गण राज्य में भागीदारी के लिये होनहार भावी पीढी है रचनात्मक सृजन करे।

03 लोक प्राधिकारण (उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण) के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

01. शासन से प्राप्त अनुदान व अनुदान की निधियों का संधारण।
02. शासन कि विभिन्न योजनाए जो सामाजिक न्याय द्वारा सोपी गई का क्रियान्वयन करना।
03. शासन की योजनाओं कर लाभ शहरी/ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना।
04. शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों को पहुँचाने के लिये हितग्राहियों का चयन।
05. सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों का सतत मूल्यांकन एवं निरीक्षण करना।

04 लोक प्राधिकारण के मुख्य कर्तव्य:- भारत शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रति जववा देह।

05 लोक प्राधिकारण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची उनकर संक्षिप्त विवरण :- लोकप्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की सीधे सेवा प्रदत्त नहीं की जाती है। प्राधिकरण द्वारा केवल भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण की योजनाएँ जो सोपी गई हों का संचालन /पर्यवेक्षण मार्गदर्शन किया जाता है।

06 लोक प्राधिकरण (उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण) के विभिन्न स्तरों शासन निर्देशालय, क्षेत्र,जिला,ब्लाक आदि पर संगठनात्मक ढाँचा (जहाँ लागू हो)

राज्य शासन	:-	सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण।
निर्देशालय	:-	आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण भोपाल।
संभाग	:-	संयुक्त संचालक,सामाजिक न्याय संभाग भोपाल।
जिला	:-	उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण
ब्लाक	:-	जनपद पंचायत विदिशा, ग्यारसपुर,बासौदा,नटेरन,कुरवाई,सिरोंज,लटेरी
नगरीय क्षेत्र	:-	नगरपालिका विदिशा,बासौदा,सिरोंज
नगरपंचायत	:-	कुरवाई,लटेरी,शमशाबाद

07 जन सेवाओं के अश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :- विभिन्न स्तर पर आयोजित जन समस्या निवारण शिविर एवं कार्यालयों में स्थापित शिकायत शाखा के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निराकरण की व्यवस्था की गई है।

08 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :-

मुख्य कार्यालय :-	उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण जिला विदिशा,कलेक्टर प्रांगण पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय के सामने विदिशा
ब्लाक स्तर :-	जनपद पंचायत विदिशा जनपद पंचायत बासौदा जनपद पंचायत कुरवाई जनपद पंचायत सिरोंज जनपद पंचायत नटेरन जनपद पंचायत लटेरी जनपद पंचायत ग्यारसपुर
संभाग स्तर :-	संयुक्त संचालक,सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण भोपाल संभाग भोपाल
राज्य शासन स्तर :-	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय बलभ भवन भोपाल आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण म.प्र. भोपाल
कार्यालय खुलने का समय:-	प्रातः 10.30 बजे
कार्यालय बंद होने का समय:-	सॉय05.30 बजे

उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण जिला विदिशा –प्रशासकीय ढॉचा

- 1- उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण जिला विदिशा
- 2- प्रमुख कलाकर शासकीय कला पथक दल विदिशा
- 3- कलाकर
- 4- मुख्य लिपिक सहलेखापाल
- 5- सहायक ग्रेड-2
- 6- सहायक ग्रेड 3
- 7- सहायक ग्रेड 3 सह कम्प्यूटर (समग्र संविदा)
- 8- वाहनचालक,वाहन स्वच्छक,
- 9- भृत्य / चौकीदार

बिन्दु क्रमांक-4 अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

शासन द्वारा प्रदत्त नियम निर्देशों के तहत कृत्यों का निर्वहन किया जाता है

बिन्दु क्रमांक 5 –अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिक और अभिलेख ।

शासन द्वारा प्राप्त नियम निर्देश अनुसारकर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन किया जाता है

बिन्दु क्रमांक 6- ऐसे दस्तावेज के जो उसके द्वारा धारित नियंत्रणाधीन प्रवर्गों का विवरण जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र में है

क्र	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त	धारक /नियंत्रणाधीन
1	सामान्य	श्री सी.एल. पंथारी व्यक्तिगत नस्ती	शासन द्वारा निधारित	श्री विनोद श्रीवास्तव सहा ग्रेड 03
2		श्रीमति अमिता तेलग व्यक्तिगत नस्ती		
3		श्री भगवान सिंह राजपूत व्यक्तिगत नस्ती		
4		श्रीमति सुधा जैन व्यक्तिगत नस्ती		
5		श्री विनोद श्रीवास्तव व्यक्तिगत नस्ती		
6		श्री राजेन्द्र भगोरिया व्यक्तिगत नस्ती		
7		श्रीमति शशिप्रभा श्रीवास्तव व्यक्तिगत नस्ती		
8		श्रीमति प्रियम शुक्ला व्यक्तिगत नस्ती		
9		श्री कैलाश नारायण शर्मा व्यक्तिगत नस्ती		
10		श्री प्रकाश खेलना व्यक्तिगत नस्ती		
11		श्रीमति विशु तोमर व्यक्तिगत नस्ती		
12		श्री राम बावू शर्मा व्यक्तिगत नस्ती		
13		श्री राम भरोसी चौहान व्यक्तिगत नस्ती		
		स्थापना संबधी समस्त अभिलेख		
		लोक कल्याण शिविर		
2	1	06 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निशक्त जनो की सहायता योजना		श्रीमति अमिता तेलग सहा.ग्रेड 02
	2	निशक्त छात्र छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस/परिवाहन भत्ता/निरवाहन भत्ता		
	3	निशक्त विधार्थी छात्र ग्रह योजना		

	4	निशक्त विधार्थी हेतु उच्च शिक्षा छात्रवृत्ती योजना		
	5	विकलांग छात्रवृत्ती योजना		
3	1	लेखा संबंधी समस्त कार्य		श्री राजेन्द्र भगोरिया सहा.ग्रेड 03
	2	मुख्यमंत्री कन्या दान योजना		
	3	निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना		
	4	मुख्यमंत्री निकाह योजना		
	5	मजदूर सुरक्षा योजना		
4	1	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण नस्ती		श्री भगवान सिंह राजपूत सहा.ग्रेड 03
	2	आम आदमी जन श्री बीमा योजना		
	3	निराश्रित निधि लेखाओं का संधारण		
5	1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		श्रीमति प्रियम शुक्ला सहा.ग्रेड 03
	2	इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		
	3	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		
	4	इंदिरागांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना		
	5	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना		
	6	कन्या अभिभावक पेंशन योजना		
6	1	सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण		श्रीमति सुधा जैन सहा. ग्रेड 03
	2	जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से प्राप्त शिकायतों का निराकरण		
	3	जन सुनवाई		

बिन्दु क्रमांक 7—किसी व्यवस्था की विशिष्टिया जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

जानकारी निम्नानुसार है :-

नीति निर्धारण :- क्या लोकप्राधिकरण (उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण) द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श एवं भागीदारी का कोई प्रावधान है, यदि है तो व्यवस्था का विवरण दें ?
नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि के परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।

नीति का क्रियान्वयन :- क्या लोकप्राधिकरण (उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण) द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श का प्रावधान है ?
नीति के कार्यान्वयन हेतु जनता/जन प्रतिनिधि से परामर्श का प्रावधान नहीं है।

3.नोडल अधिकारीकुष्ठ	सदस्य
4.जिला परियोजना समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान	सदस्य
5.विभागीय मान्यता प्राप्त अशा. संस्था अध्यक्ष	सदस्य
6.उपसंचालक,सामाजिक न्याय	सचिव

5.मुख्य अधिकारी का नाम:-	श्रीमती अंजू पवन भदोरिया	अपर कलेक्टर
6. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है :-		नहीं
7.क्या बैठक में कार्यवत तैयारी की जाती है :-		हाँ

5.मुख्य अधिकारी का नाम:-	श्री एम.बी.ओझा कलेक्टर जिला विदिशा
6.क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है :-	नहीं
7.क्या बैठक में कार्यवत तैयारी की जाती है:-	हाँ

1.संबंधित संस्था का नाम एवं पता-	स्थानीय समिति विदिशा
2.संबंधित संस्था का प्रकार - (बोर्ड,परिषदों,समिति,निकायों, या अन्य)	समिति
3.संबंधित संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री,प्रबंधकारिणी, कार्यकारिणी)	परामर्शदात्री
4.स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य:-	
1.कलेक्टर, (नामांकित अपर कलेक्टर)	अध्यक्ष
2.उपसंचालक,सामाजिक न्याय	सचिव
3.जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि. अधिकारी	सदस्य
4.अध्यक्ष युवराज कल्ब विदिशा	सदस्य
5.विभागीय मान्यता प्राप्त अशा. संस्था अध्यक्ष	सदस्य
6.अध्यक्ष अभिभाषकसंघ	सदस्य

5.मुख्य अधिकारी का नाम:-	श्रीमती अंजू पवन भदोरिया	अपर कलेक्टर
6. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है		नहीं
7.क्या बैठक में कार्यवत तैयारी की जाती है :-		हाँ

1.संबंधित संस्था का नाम एवं पता-	जिला विकलांग काल्याण समिति विदिशा
2.संबंधित संस्था का प्रकार - (बोर्ड,परिषदों,समिति,निकायों, या अन्य)	समिति
3.संबंधित संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री,प्रबंधकारिणी, कार्यकारिणी)	कार्यकारिणी समिति
4.स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य:-	
1.कलेक्टर	अध्यक्ष

2.उपसंचालक,सामाजिक न्याय	सचिव
3.पुलिस अधिक्षक विदिशा	सदस्य
4.महा प्रबधक जिला व्यपार एवं उधोग केन्द्र विदिशा	सदस्य
5.विभागीय मान्यता प्राप्त अशा. संस्था अध्यक्ष	सदस्य
6.अध्यक्ष अभिभाषकसंघ	सदस्य

5.मुख्य अधिकारी का नाम:-	श्री एम बी ओझा कलेक्टर
6.क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
7.क्या बैठक में कार्यवत तैयारी की जाती है :-	हाँ

**बिन्दु क्रमांक 9 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
जानकारी निम्नानुसार है :-**

क्रमांक	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	दूरभाष		आवास का पता
			कार्यालय	निवास	
1	श्री सी.एल. पंथारी	डपसंचालक	234272		
2	श्रीमति अमिता तेलग	सहा.ग्रेड-2	234272	230637	पूरनपुरा विदिशा
3	श्री भगवान सिंह राजपूत	सहा.ग्रेड-3	234272		
4	श्रीमति सुधा जैन	सहा.ग्रेड-3	234272		शेरपुरा विदिशा
5	श्री विनोद श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-3	234272		आर.एम.पी.नगर विदिशा
6	श्री राजेन्द्र भगोरिया	सहा.ग्रेड-3	234272		रीठाफाटक विदिशा
7	श्रीमति शशिप्रभा श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-3	234272	260816	आज्ञाराम कालौनी विदिशा
8	श्रीमति प्रियम शुक्ला	सहा.ग्रेड-3	234272		किले अन्दर विदिशा
9	श्री राम भरोसी चौहान	सहा.ग्रेड-3	234272		बरईपुरा विदिशा
10	श्री श्री कैलाश नारायण शर्मा	भृत्य	234272		ब्लाक कालौनी विदिशा
11	श्रीमति विशु तोमर	भृत्य	234272		ब्लाक कालौनी विदिशा
12	श्री राम बावू शर्मा	वाहिनीस्व.	234272		ब्लाक कालौनी विदिशा
13	श्री प्रकाश खेलना	भृत्य	234272		ढलक पुरा विदिशा

बिंदु क्रमांक 10 अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अर्न्तगत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में उपबंधित हो

जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	विभाग	मासिक पारिश्रमिक	परितोषित भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1	श्री सी.एल. पंथारी	उपसंचालक	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
2	श्रीमति अमिता तेलग	सहा.ग्रेड-2	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
3	श्री भगवान सिंह राजपूत	सहा.ग्रेड-3	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

4	श्रीमति सुधा जैन	सहा.ग्रेड-3	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
5	श्री विनोद श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-3	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
6	श्री राजेन्द्र भगोरिया	सहा.ग्रेड-3	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
7	श्रीमति शशिप्रभा श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-3	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
8	श्रीमति प्रियम शुक्ला	सहा.ग्रेड-3	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
9	श्री राम भरोसी चौहान	सहा.ग्रेड-3	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
10	श्री श्री कैलाश नारायण शर्मा	भृत्य	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
13	श्रीमति विशु तोमर	भृत्य	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
14	श्री राम बावू शर्मा	वाहिनीस्व.	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
14	श्री प्रकाश खेलना	भृत्य	सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
			सामाजिक न्याय			शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

बिंदु क्रमांक 11 सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों एवं किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ।

जानकारी निम्नानुसार है:- सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत जैसे वृद्धजन दिवस, विश्व विकलांग दिवस के आयोजन हेतु आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण द्वारा जो आवंटन उपलब्ध कराया जाता है आवंटन की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं जिससे वृद्धजन एवं निशक्तजनों का मनोबल बढ़ता है।

बिंदु क्रमांक 12:- सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित है ।

जानकारी निम्नानुसार है :- सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण द्वारा जिले में विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था के माध्यम से वरिष्ठ जनों के लिये जिले वृद्धाश्रम संचालित है। वृद्धाश्रम को केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होता है जिसमें वृद्धजनों को खाने, रहने, मनोरंजन आदि की पूर्ण सुख सुविधायें उपलब्ध है। जिले में निशक्त कल्याण के क्षेत्र में मानसिक रूप से निशक्त बालक/बालिकाओं के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु दो विशेष स्कूल संचालित है, जो विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं संचालित किये जा रहे है एक संस्था सूरज निकेतन विदिशा विशेष स्कूल को राज्य अनुदान प्राप्त है जिसे शासन के मापदण्ड अनुसार बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। अशासकीय संस्था राजुल विकलांग पालक अभिभावक उत्थान समिति विदिशा द्वारा संचालित दीक्षा निकेतन विशेष स्कूल एवं छात्रावास निराश्रित निधि की ब्याज

राशि से संचालित किया जा रहा। उक्त संस्थाए प्राप्त आंवटन का पूर्ण उपयोग कर रही है समय-समय पर प्रशासन द्वारा निरिक्षण भी किया जा रहा है।

बिंदु क्रमांक 13:- अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों ,अनुज्ञापत्रों,या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ जानकारी निम्नानुसार है :-

1	कार्यक्रम का नाम	
2	प्रकार(रियायत ,अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुनें)	
3	उददेश्य	
4	लक्ष्य (विगत वर्ष)	
5	पात्रता	
6	पात्रता का आधार	
7	पूर्वापेक्षाएँ	
8	प्राप्त करने की प्रक्रिया	
9	रियायत अनुज्ञापत्रों अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये समयसीमा	
10	आवेदन शुल्क	
11	आवेदन का प्रारूप	
12	संलग्नों की सूची	
13	संलग्नों का प्रारूप	
14	प्राप्तकर्ताओं की सूची	

लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रिया कलापों /कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने के मानक नियमों का कार्यक्रम उपलब्ध करावें ?
जानकारी निम्नानुसार है:-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के क्रिया कलापों /कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु समय समय पर जारी दिया निर्देश /मानक एवं आदेश जिनका कार्यक्रम वार विस्तृत विवरण संबंधित प्रभारियों के पास उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध में व्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो?

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में हो?

जानकारी निम्नानुसार है:-

लोक प्राधिकरण में संचालित सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण से संबंधित जानकारी जिले की वेवसाइड ddsvid@mp.gov.in इलेक्ट्रानिक फार्मेट पर उपलब्ध है ।

बिंदु क्रमांक 15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यक्रम घंटे सम्मलित है ?

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है जैसे ।

- 1.पुस्तकालय
- 2.नाटक नुक्कड
- 3.अखबारों द्वारा
- 4.प्रदर्शनी

- 5.सूचनापटल
- 6 अभिलेखों का निरीक्षण ,दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
- 7.उपलब्ध विभागीय मनुअल
- 8.लोक प्राधिकरण की वेवसाइड
- 9.अन्य प्रचार प्रसार के साधन

विन्दु क्रमांक 16 लोक सूचना अधिकारी का नाम पद /पदनाम अन्य विशिष्टिया जानकारी निम्नानुसार है :-

श्री सी.एल.पंथारी उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला विदिशा

भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभाग से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यो को आम आदमी तक पात्रतानुसार जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय इंदिरागांधी विधवा पेंशन, राष्ट्रीय इंदिरागांधी वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय इंदिरागांधी निःशक्त पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, मानसिक एवं बहुविकलांग पेंशन, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, निःशक्तछात्रवृत्तियोजना, आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, निःशक्त कल्याण क्षेत्र में निःशक्तजनो को उनकी आवश्यकतानुसार लाभान्वित किया जाना एवं शासन द्वारा विभाग से संबंधित जनकल्याण कारी योजनाओं का संचालन करना।

विन्दु क्रमांक 17:- ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

उत्तर निम्नानुसार है:-01लोक प्राधिकरण में जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	लोक प्राधिकरण में वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही है ।	लोक प्राधिकरण में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरागांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना,राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना,मुख्य मंत्री कन्यादान योजना,आम आदमी जन श्री बीमा योजना,मजदूर सुरक्षा योजना ,मुख्यमंत्री कन्या अविभावक पेंशन योजना,बहुविकलांग,एवं मानसिक रूप से निःशक्तजन सहायता योजना,सिविल सेवा सहायता योजना,निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना,विकलांग छात्रवृत्ति योजना,उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस/निर्वहन भत्ता/परिवहन भत्ता योजना,निःशक्त छात्रगृह योजना,कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना,माता पिताएवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण योजना ,नशाबंदी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है
2	योजनांतर्गत लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है ।	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये संबंधित द्वारा ग्राम पंचायतों,/जनपद पंचायतों/नगरीय क्षेत्र के नगरपालिका/नगरपंचायतों को आवेदन प्रस्तुत किये जाते है ।

02.सूचना प्राप्त करने के संबंध में

1.आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिये एक भरे हुये आवेदन पत्र की प्रति) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में

2. शुल्क आवेदन पत्र के साथ रूपये 10/- नगद या नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के रूप में (बी.पी.एल. परिवार के आवेदक को यह शुल्क देय नहीं है)
3. सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से माँगी जाये—कुछ टिप्स
माँगी जाने वाली जानकारी का पूर्ण ब्योरा पेज क्रमांक के उल्लेख सहित तथा कितनी प्रति चाहिये का उल्लेख अवश्य करे ।
4. सूचना न देने व अपील करने के संबध में नागरीक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया सूचना नियत समय पर प्राप्त न होने पर कलेक्टर जिला विदिशा को अपील कर सकते है

03.लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबध में

- 1.प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण— कोई नहीं।
- 2.प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभारी रहने की समय सीमा— कोई नहीं।
- 3.प्रशिक्षण कार्यक्रम का उददेश — कोई नहीं।
- 4.प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वणिज्यक लक्ष्य (विगत वर्ष में)— लागू नहीं।
- 5.लाभार्थी की पात्रता— लागू नहीं।
- 6.पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) — लागू नहीं।
- 7.अनुदान/सहायता (यदि हो तो) — लागू नहीं।
- 8.दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण — लागू नहीं।
- 9.अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया — लागू नहीं।
- 10.आवेदन करने के लिये कहा/किससे से संपर्क करे — लागू नहीं।
- 11.आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) — लागू नहीं।
- 12.अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) — लागू नहीं।
- 13.आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृप्या उसका उल्लेख करते हुये यह बताये कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे) — लागू नहीं।
- 14.सलंगनकों की सूची — लागू नहीं।
- 15.सलंगनकों के प्रारूप — लागू नहीं।
- 16.आवेदन करने की प्रक्रिया — लागू नहीं।
- 17.चयन प्रक्रिया — लागू नहीं।
- 18.प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी यदि हो तो — लागू नहीं।
- 19.प्रशिक्षण के समय के वारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका — लागू नहीं।
- 20.प्रशिक्षण के कार्यक्रम के वारे में जनता के जगरूत करने के लिये लोक प्रधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य — लागू नहीं।
- 21.विभिन्न स्तरो पर जैसे की जिला स्तर,ब्लाक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण — लागू नहीं।

06.लोक प्राधिकरण(muunicipal corporation,trade tax,emtertatom,emt tax,आदि)

द्वारा टेक्स लेने के संबध में

- 1.टेक्स का नाम व विवरण — लागू नहीं।
- 2.टेक्स लेने का उददेश्य — लागू नहीं।
- 3.टेक्स निर्धारण करने के लिये मापदंड व प्रक्रिया — लागू नहीं।
- 4.बड़े (**Major**) डिफाल्टर्स की सूची — लागू नहीं।

07.लोक प्राधिकरण द्वारा नागरीको को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन को अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदन आदि के संबध में(यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका/नगरपरिषद/यू.पी.सी.एल. द्वारा दी जा सकती है)

- 1.आवेदन की पात्रता :- लागू नहीं
- 2.पूर्वापेक्षाएं(यदि हों तो) :- लागू नहीं
- 3.आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- लागू नहीं
- 4.आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :- लागू नहीं

- 5.अन्य शुल्क/देय (जहाँ उचित हो) :- लागू नहीं
- 6.आवेदन पत्र का प्रारूप(यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृप्या उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें):-लागू नहीं
7. संलग्नकों की सूची :- लागू नहीं
- 8.संलग्नकों का प्रारूप:-लागू नहीं
9. आवेदन करने की प्रक्रिया :-लागू नहीं
- 10.आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया(यहाँ पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो सारी प्राथमिकताएँ पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा दी जाती है :-लागू नहीं
- 11.बिल में प्रयोग किये गये शब्दों का विवरण :-लागू नहीं
- 12.बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में :-समस्या होने की स्थिति में सम्पर्कसूचना:-लागू नहीं
- 13.टैरिफ तथा अन्य देय :-लागू नहीं
- 8.लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण लोक प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केवल उसे सौंपी गई योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/मार्ग दर्शन/पर्यवेक्षण किया जाता है ।

उपसंचालक,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला-विदिशा

क्रमांक	योजना का नाम
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
2	इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
3	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
4	इंदिरागांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
5	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
7	आम आदमी /जन श्री बीमा योजना
8	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना
9	6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूपसे अविकसित जनों के लिये सहायता योजना
10	
11	निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जानें वाली फीस/निर्वाह भत्ता/परिवहन भत्ता योजना
12	निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना
13	निःशक्त जन विद्यार्थी हेतु छात्रगृह योजना
14	निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विशेष अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना
15	विकलांग छात्रवृत्ति योजना
16	मुख्यमंत्री निःशक्त प्रोत्साहन योजना
17	निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन,/उपकरण प्रदाय योजना तथा शल्य क्रिया उपचार योजना
18	माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण

06 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित जनों की सहायता योजना

उपसंचालक,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला-विदिशा